Use of Bye-Lane as Thoroughfare in Sarojini Nagar, New Delhi

4048. PROF. NIRMALA KUMARI SHAKTAWAT: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the by-lanes in between 'YZ' and 'Z' block' of 'D' type quarters especially between quarter Nos. YZ 27 & 29 and Z 11, 13 & 15 in Sarojini Nagar, New Delhi meant for pedestrian traffic for residents of the locality, are being used as thoroughfare for scooters and motorcycles throughout the day thereby causing inconvenience to the residents, particularly those residing in ground floors;

(b) if so, why no permanent concrete barriers have not been provided so far preventing such scooter, motorcycle traffic when such concrete barriers have been provided in the bye-lane in the nearby Laxmi Bai Nagar. New Delhi; and

(c) when it is proposed to provide such concrete barriers particularly in between the bye-lanes of the quarters mentioned in (a) above?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

गुजरात में कृषि उत्पाद विपणन समिति की मांगें

4049. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी**: क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) गुजरात की कितनी कृषि उत्पादन विपणन समितियों ने केन्द्र सरकार, योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और ऐसी कितनी समितियां हैं जिनकी मांग स्वीकार कर ली गई है और कितनी समितियों की मांग स्वीकार नहीं की गई है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ख) योजना के अधीन सैंट्रल एसिस्टेन्स फार सलैक्टिंग मार्किटिंग कमेटी तथा सैंट्रल एसिस्टेन्स फार रुरल मार्किटिंग कमेटी की स्थिति क्या है?

कृषि तथा सिस्टेन्स ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम): (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सहायता के लिए बाजारों का चयन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है जिसकी एक प्रति संलग्न है (विवरण-II)

विवरण-I

बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु गुजरात से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	इसके कारण
(1) चुने नियमित बाजार	21	2	19	प्रस्ताव मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार नहीं थे।
(2) पिछड़े क्षेत्रों में थोक बाजार	4	2	2	
(3) प्राथमिक ग्रामीण बाजार	12	1	11	

विवरण–II

विपणन आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की योजनाएं मार्गदर्शक सिद्धांत

1. चुने नियमित बाजारों के विकास के लिए योजना । भारत सरकार बाजार समितियों को बाजारों के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता अनुदानों के रूप में देती है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है ।

(क) टर्मिनल बाजार

बाजार यार्ड तथा सम्बद्ध सुविधाओं के विकास के लिए महानगरों में फलों तथा सब्जियों के चुने टर्मिनल बाजारों के लिए प्रति बाजार 15.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

(ख) वाणिज्यक फसलों का व्यापार करने वाले बाजार

1. ऐसे प्रत्येक बाजार के लिए केन्द्रीय सहायता की धनराशि 4 लाख रुपये है ।

1.1 पहले इस योजना में केवल पटसन, कपास तथा तम्बाकू को वाणिज्यिक फसलें माना जाता था। बाद में इस में मूंगफली, काजू, नारियल, आलू तथा प्याज को भी शामिल कर लिया गया था। अब यह निणय लिया गया है कि भविष्य में इस योजना में वाणिज्यिक फसलों के रूप में सभी तिलहनों को भी शामिल किया जायेगा।

1.2 योजना के अन्तर्गत विभिन्न किस्म के बाजारों के लिए निर्धारित किए गए भूमि मानदण्डों को बाद में उदार बना दिया गया है तथा अब संशोधित मानदण्ड निम्नप्रकार है :—

(1) 125 मीटरी टन तक प्रतिदिन की अधिकतम आवक के लिए—6 हेक्टेयर

(2) प्रत्येक अतिरिक्त 20 मीटरी टन के लिए—1 अतिरिक्त हेक्टेयर (प्रतिदिन की अधिकतम आवक की संगणना 10 वर्ष में की जाती है)

(ग) कमाण्ड क्षेत्रों में स्थित बाजार ऐसे प्रत्येक बाजार के लिए केन्द्रीय सहायता की धनराशि 5 लाख रुपये है।

2. ग्रामीण बाजारों के विकास की योजना

क. प्राथमिक बाजार

(क) ऐसे प्रत्येक बाजार के लिए केन्द्रीय सहायता की धनराशि 1.5 लाख रुपये होनी चाहिए अथवा कार्यालय एवं गोदाम, नीलामी स्थल तथा जल और सफाई की व्यवस्थाओं के मूल आधारभूत ढांचे की लागत, जो भी कम हो, होनी चाहिए।

(ख) केन्द्रीय सहायता दो किसतों में बंटित की जायेगी ।

इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक ग्रामीण बाजारों के लिए केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

(क) बाजार ऐसे होंगे जहां किसानों द्वारा कम से कम एक महत्वपूर्ण वस्तु काफी मात्रा में लाई जाए।

(ख) इसका उस क्षेत्र के नियमित बाजार के साथ संस्थागत रूप से संबंध होना चाहिए।

(ग) भूमि की लागत राज्य सरकार अथवा बाजार समिति द्वारा वहन की जानी चाहिए।

(घ) इस प्रकार के क्षेत्र होने चाहिए जहां बाजार संगठन के लिए पर्याप्त आय के सृजन की सम्भावना हो तथा जिसका मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि संगठन अपनी सहायता स्वयं कर सकता हो।

(ङ) केन्द्रीय सहायता की राशि का उपयोग केवल मूल आधारभूत सुविधाएं सुलभ करने हेतु किया जाए। (जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है)।

(च) चयन के समय पर केवल ऐसे बाजारों को शुरू किया जाए जिन्हें नियमित बाजारों से जोड़ने के लिए सड़कें उपलब्ध हों।

(छ) यह धनराशि दो किस्तों में बंटित की जायेगी, पहली किस्त 1 लाख रुपये तथा दूसरी किस्त 50,000/- रुपये की होगी। दूसरी किस्त तभी बंटित की जाएगी जबकि प्रथम किस्त के उपयोग का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाएगा।

(ज) संबंधित राज्य सरकार को प्रत्येक परियोजना के बारे में समापन प्रमाण-पत्र मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा

ख. पिछड़े क्षेत्रों में नियमित थोक बाजार।

(क) पिछड़े क्षेत्र का अर्थ है वह क्षेत्र जो समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अथवा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आता हो।

(ख) ऐसे प्रत्येक बाजार के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत होगी और अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए होगी।

(ग) केन्द्रीय सहायता का बंटन दो किस्तों में किया जायेगा।

(घ) अब से आगे पुरानी योजना के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के बाजारों को कोई सहायता नहीं दी जायेगी।

3. सभी थोक बाजारों के लिए निधियों का बंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा

(1) किसी भी थोक बाजार को तब तक कोई सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी जब तक कि अनिवार्य शर्तों सहित वह बाजार किसी नियमित बाजार समिति द्वारा विधिवत रूप से न चलाया जाता हो और जब कि बाजार समिति के अधिकार में पूर्वोक्त योजना के अधीन अपेक्षित अनिवार्य सुविधाएं सुलभ करने के लिए पर्याप्त भूमि न हो।

(2) योजना के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले प्रत्येक प्रस्तावित बाजार के लिए बाजार में लेनदेन के विद्यमान स्तर का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए तथा बाजार की भीतरी भूमि में कार्यान्वयनाधीन कृषि उपज के विकास की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी विकास की सम्भाव्यता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे पहले कि मामले संस्वीकृति समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएं प्रस्तावित निवेश के बाद बाजार की वित्तीय सक्षमता के तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर और युक्तियुक्त रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए।

(3) नियमित थोक बाजारों के विकास की योजना के अन्तर्गत विकसित किए जाने वाले बाजारस्थलों को कमाण्ड क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे इसी प्रकार के स्थलों से सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

(4) नियमित थोक बाजारों के मामले में एक राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सांविधिक अथवा गैर-सांविधिक) का गठन किया गया है।

(5) उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुदान की प्राप्ति के छः माह के भीतर भारत सरकार को प्रस्तुत करना होगा।